निर्णय व इजलास प्रकाश राजपुराहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर, जयपुर

प्रकरण संख्या 89/2007 (विविध प्रार्थना पत्र)

हनुमान सहाय तंवर पता–ई 39, आनन्दपुरी, मोती डूंगरी रोड, जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. मनोहर दास पुत्र श्री अमोलक दास निवासी हिन्दपुरा, तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर ।
2. हनुमान दास पुत्र स्व॰ श्री रामरतन दास निवासी मोरड़ा हाउस, मोती डूंगरी रोड़, जयपुर ।
3. रामकरण दास पुत्र स्व॰ श्री बसन्तीदास निवासी नीमेडा तहसील फागी जिला जयपुर।
4. शेषनारायण दास पुत्र स्व॰ श्री हरिनारायण निवास मोरड़ा हाउस, मोती डूंगरी रोड, जयपुर।
5. रामदयाल पुत्र स्व॰ श्री हरिनारायण दास निवासी डीडवारी, तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर।
6. अमोलदास पुत्र श्री आनन्दी दास निवासी हिन्दपुरा, तहसील बौली, जिला सवाई माधोपुर।
7. नारायण दास पुत्र स्व॰ श्री रामदास निवासी ग्राम पोस्ट बरोल, तहसील मालपुरा, जिला टौंक।
8. रामविलास दास पुत्र स्व॰ श्री राम बल्लभ दास निवासी जावा, तहसील मालपुरा, जिला टौक।
9. बाबूदास पुत्र स्व॰ श्री धनश्याम दास निवासी बजीरपुर, तहसील हिन्डोन, जिला सवाईमाधोपुर।
10. रामदयाल पुत्र स्व॰ श्री लादूराम दास निवासी निमेडा, तहसील फागी, जिला जयपुर।
11. सुरेन्द्र दास पुत्र स्व॰ श्री नारायण दास निवासी चपराणा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक।
12. इस्लामुद्दीन पुत्र श्री हाजी मोहम्मद दीन
13. श्रीमती इल्मास बानो पत्नी श्री इस्लामुद्दीन
14. फिरोज खान पुत्र श्री इस्लामुद्दीन
15. अजरूद्दीन पुत्र श्री इस्लामुद्दीन
16. सलीमुद्दीन पुत्र श्री हाजी मोहम्मद दीन
17. श्रीमती यास्मीन बानो पत्नी श्री सलीमुद्दीन
18. नईमुद्दीन पुत्र श्री हाजी मोहम्मददीन
19. श्रीमती अख्तर बानो पत्नी श्री नईमुद्दीन
20. अहतश्यामुद्दीन पुत्र श्री नईमुद्दीन
21. शहजाद पुत्र श्री नईमुद्दीन
22. मोहम्मद साजिद कुरेशी पुत्र श्री नईमुद्दीन
23. कयामुद्दीन पुत्र श्री हाजी मोहम्मद्दीन
24. श्रीमती यासमीन बानो पत्नी श्री कयामुद्दीन
25. श्री उमरदीन पुत्र श्री हाजी मोहम्मद्दीन
26. श्रीमती अंजुम बानो पत्नी श्री उमरदीन
27. हाजी मोहम्मद्दीन पुत्र शेख छोटू
28. श्रीमती हज्जन जैतून पत्नी श्री हाजी मोहम्मद्दीन

जिला कलक्टर
जयपुर

29. सरफराजुद्दीन पुत्र स्व॰ श्री अहमददीन
30. वसीमुद्दीन पुत्र स्व॰ श्री अहमददीन
31. श्रीमती रईसा बानो पत्नी स्व॰ श्री अहमददीन

समस्त मुसलमान निवासी मकान नम्बर 1635 कमेला गली, मुस्लिम मुसाफिर खाने के सामने, मोतीडूंगरी रोड़, जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मोरडा हाउस मकान नं॰ 1354 मुस्लिम मुसाफिर खाने के सामने मोतीडूंगरी रोड जयपुर स्थित धार्मिक प्रयोजन के सार्वजनिक भवन एवं उपासना स्थल दादूद्वारा के अवैद्य विकय पत्रों को निरस्त करने बाबत ।

उपस्थित :–

1. श्री पी॰डी॰ परवाल अधिवक्ता अप्रार्थी 1 लगायत 11 की ओर से ।
2. श्री निहाल चन्द सोनी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 12 लगायत 31 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 22.08.2022

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने मोरडा हाउस मकान नम्बर 1354 चौकडी हवाली शहर जनूवी नगर निगम वार्ड संख्या 34 में मुस्लिम मुसाफिर खाने के सामने मोती डूंगरी रोड स्थित सम्पत्ति को दादूपंथी समुदाय की बताते हुये दीकर सम्प्रदाय के व्यक्तियों को विकय कर दिये जाने से राजस्थान धार्मिक भवन एव स्थल अधिनियम 1954 की धारा 6 की उप धारा (1) के तहत कार्यवाही किये जाने एवं किये गये विकय पत्रों को निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जा कर नोटिस अप्रार्थीगण को जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री उपस्थित है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। प्रार्थी दौरान सुनवाई कई तारीख पेशियों से उपस्थित नही हो रहा है।
3. बहस एक पक्षीय अप्रार्थीगण की सुनी गई।
4. प्रार्थी ने सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा करने संबंधी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 (क) के खण्ड (झ) के द्वारा नागरिकों पर अधिरोपित मूल संविधानिक कृत्य के निर्वहन में राजस्थान धार्मिक भवन एव स्थल अधिनियम 1954 की धारा 6 की उप धारा (1) के खण्ड (ग) में उपबन्धित प्रावधान का उल्लेख करते हुये जयपुर नगर की चौकडी हवाली शहर जनूवी (नगर निगम वार्ड संख्या 34 के अन्तर्गत मोती डूंगरी रोड पर धार्मिक प्रयोजन का लगभग एक शताब्दी पुराना दादूद्वारा नामक उपासना स्थल का पश्चिममुखी सार्वजनिक भवन स्थित है जिसका नगरपालिका नम्बर 1354 है। उक्त दादूद्वारा नामक सार्वजनिक उपासना स्थल से पूज्य संत श्री दादू जी का मन्दिर स्थापित है जिसमें पवित्र दादूवाणी समम्यक रूप से प्रतिष्ठित है। उक्त धार्मिक प्रयोजन का लगभग एक शताब्दी प्राचीन तथा हिन्दू धर्म के अध्ययधीन दादू पंथ का मोती डूंगरी रोड़ स्थित पवित्र उपासना स्थल का सार्वजनिक भवन दादूद्वारा अब अत्यन्त बहुमूल्य हो गया है। इसलिए कतिपय निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा धार्मिक प्रयोजन के उक्त सार्वजनिक

जिला कलक्टर
जयपुर

भवन अर्थात दादू द्वारा उपासना स्थल को हडपने का पिछले कुछ दिनों से कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। उक्त कुत्सित प्रयासों के विरूद्व समय समय पर आपको संसूचित कर निषेधाज्ञा कार्यवाही हेतु पूर्व में अनुरोध भी किया जा चुका है, परन्तु संययोचित कार्यवाही नहीं किये जाने के फलस्वरूप निहित स्वार्थी तत्व विधि विरूद्व कार्य करने हेतु प्रोत्साहित ही हुए है। दादू पंथ के कतिपय निहित स्वार्थ तत्वों ने उक्त उपासना स्थल अर्थात दादूद्वारा को षडयंत्र पूर्वक मोरडा हाउस के नाम से उल्लेखित करना इस प्रकार प्रारम्भ किया कि धार्मिक प्रयोजन के उक्त सार्वजनिक भवन/उपासना स्थल दादूद्वारा को शैन शैन मोरडा हाउस के नाम से विख्यात कर दिया। उक्त उपासना स्थल अर्थात दादूद्वारा को एक सुनियोजित षडयंत्र के द्वारा मोरडा हाउस के नाम से निजी स्वामित्व की सम्पत्ति बना लेने के पश्चात कतिपय निहित स्वार्थी तथ्वों से दुरभी संधी करके दादूपंथ के ही निम्नांकित व्यक्तियों ने जयपुर नगर के मोतीडूंगरी रोड पर स्थित धार्मिक प्रयोजन के उपर वर्णित सार्वजनिक भवन एवं उपासना स्थल अर्थात दादू द्वारा की विधि विरूद्व अर्थात राजस्थान धार्मिक भवन एवं स्थल अधिनियम 1954 की धारा 6 की उप धारा (1) के खण्ड ग के अध्यधीन जिला कलक्टर जयपुर की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही दादू द्वारा के विकेतां सर्व श्री–(1) मनोहर दास पुत्र अमोलक दास निवासी हिन्दपुरा तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर (2) हनुमान दास पुत्र स्व॰ श्री रामरतन दास निवासी मोरड़ा हाउस मोती डूंगरी रोड़ जयपुर (3) रामकरण दास पुत्र स्व॰ श्री बसन्तीदास निवासी नीमेडा तहसील फागी जिला जयपुर (4) शेषनारायण दास पुत्र स्व॰ श्री हरिनारायण निवास मोरड़ा हाउस मोती डूंगरी रोड जयपुर (5) रामदयाल पुत्र स्व॰ श्री हरिनारायण दास निवासी डीडवारी तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर (6) अमोलदास पुत्र श्री आनन्दी दास निवासी हिन्दपुरा तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर (7) नारायण दास पुत्र स्व॰ श्री रामदास निवासी ग्राम पोस्ट बरोल तहसील मालपुरा जिला टौंक (8) श्री रामविलास दास पुत्र स्व॰ श्री राम बल्लभ दास निवासी जावा तहसील मालपुरा जिला टौक (9) बाबूदास पुत्र स्व॰ श्री धनश्याम दास निवासी बजीरपुर तहसील हिन्डोन जिला सवाई माधोपुर (10) रामदयाल पुत्र स्व॰ श्री लादूराम दास निवासी निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर (11) श्री सुरेन्द्र दास पुत्र स्व॰ श्री नारायण दास निवासी चपराणा तहसील मालपुरा जिला टोंक ने केता सर्व श्री (1) इस्लामुद्दीन पुत्र श्री हाजी मोहम्मद दीन (2) श्रीमती इल्मास बानो पत्नी श्री इस्लामुद्दीन (3) फिरोज खान पुत्र श्री इस्लामुद्दीन (4) अजरूद्दीन पुत्र श्री इस्लामुद्दीन (5)सलीमुद्दीन पुत्र श्री हाजी मोहम्मद दीन (6) श्रीमती यासमीन बानो पत्नी श्री सलीमुद्दीन (7) नईमुद्दीन पुत्र श्री हाजी मोहम्मददीन (8) श्रीमती अख्तर बानो पत्नी श्री नईमुद्दीन (9) अहतश्यामुद्दीन पुत्र श्री नईमुद्दीन (10) शहजाद पुत्र श्री नईमुद्दीन (11) मोहम्मद साजिद कुरेशी पुत्र श्री नईमुद्दीन (12) कयामुद्दीन पुत्र श्री हाजी मोहम्मद्दीन (13) श्रीमती यासमीन बानो पत्नी श्री कयामुद्दीन (14) उमरदीन पुत्र श्री हाजी मोहम्मद्दीन (15) श्रीमती अंजुम बानो पत्नी श्री उमरदीन (16) हाजी मोहम्मद्दीन पुत्र शेख छोटू (17) श्रीमती हज्जन जैतून पत्नी श्री हाजी मोहम्मद्दीन (18) सरफराजुद्दीन पुत्र स्व॰ श्री अहमददीन (19) वसीमुद्दीन पुत्र स्व॰ श्री अहमददीन (20) श्रीमती रईसा बानो पत्नी स्व॰ श्री अहमददीन समस्त जाति मुसलमान निवासी मकान नम्बर 1635 कमेला गली, मुस्लिम मुसाफिर खाने के सामने, मोती डूंगरी रोड, जयपुर को विकय कर दी । उक्त वर्णित धार्मिक प्रयोजन के सार्वजनिक भवन एवं उपासना स्थल अर्थात मोती डूंगरी रोड जयपुर स्थित दादू द्वारा को मोरडा हाउस के छदम

जिला कलक्टर
जयपुर

नाम से विक्रय किये जाने के पावं विलेख अर्थात पांच विक्रय पत्र निष्पादित किये जाकर 22 अक्टूबर 2005 को उप पंजीयक जयपुर प्रथम के समक्ष पंजीयन हेतु प्रस्तुत किये गए थे, जिन्हें उनके द्वारा सम्यक परीक्षण किए बिना ही तत्तपरता पूर्वक 29 अक्टूबर 2005 को पंजीयन भी कर दिया गया। हिन्दू विधि के प्रावधानुसार धार्मिक प्रयोजन के सार्वजनिक भवन, मन्दिर एवं उपासना स्थल इत्यादि का स्वामित्व उस आराध्य देव अथवा देव प्रतिमा में निहित होता है जिसे यह समर्पित किया गया है और उसमें प्रतिष्ठित है। तदनुसार उक्त दादूद्वारा उपासना स्थल का पूर्ण स्वामित्व पूज्य संन्त श्री दादो जी में ही निहित है, अन्य किसी में नहीं है । उपरोक्त हिन्दू विधि के प्रावधानुसार ही धार्मिक प्रयोजन का प्रत्येक भवन स्थल मन्दिर एवं उपासना स्थल इत्यादि सार्वजनिक सम्पत्ति जिनका अन्ततोगत्वा न्यासी व संरक्षक भी राज्य शासन ही है। राजस्थान धार्मिक भवन व स्थल अधिनियम 1954 की धारा 6 की उप धारा (1) के खण्ड (ग) में यथा उपबन्धित निषेधात्मक प्रावधानुसार जिला कलक्टर की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी धार्मिक भवन अथवा स्थल को नष्ट, क्षतिग्रस्त और अन्तरित नही किया जा सकता। उपासना स्थल (विशेष उपबन्ध) अधिनियम 1991 की धारा 3 में यथा उपबन्धित प्रावधानुसार धार्मिक स्थलों एवं उपासना स्थलों का सम्परिवर्तित विधिवत वर्जित घोषित किया गया है। उपासना स्थल (विशेष उपबन्ध) अधिनियम 1991 की धारा 3 में यथा " उपासना स्थलों के परिवर्तन का वर्जन कोई भी व्यक्ति किसी सम्प्रदाय या उसके किसी अनीभाग के किसी उपासना स्थल की उसी धार्मिक सम्प्रदाय के भिन्न अनुभाग के या किसी भी भिन्न धार्मिक सम्प्रदाय या उसके किसी अनुभाग के उपासना स्थल में परिवर्तन नहीं करें " उक्त धारा 3 में उपबन्धित प्रावधान का उल्लंघन उपासना स्थल (विशेष उपबन्ध) अधिनियम 1991 की धारा 6 में उपबन्धित प्रावधानान्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उपासना स्थल (विशेष उपबन्ध) अधिनियम 1991 की धारा 4 की उपधारा 1 में उपबन्धित प्रावधानान्तर्गत विधितः घोषित किया गया है कि 15 अगस्त 1947 को विद्यमान उपासना स्थल का धार्मिक स्वरूप वैसा ही बना रहेगा जैसा वह उस दिन विद्यमान था । उपासना स्थल (विशेष उपबन्ध) अधिनियम 1991 की धारा 7 में यथा उपबन्धित प्रावधानानुसार इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अवधि या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखित में उसके असंगत किसी बात को कहते हुए भी प्रभावी होंगे। लोक सम्पत्ति हानि निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 की उप धारा 1 में यथा उपबन्धित प्रावधानुसार जब कोई उप धारा 2 में विनिर्दिष्ट प्रकृति की लोक सम्पत्ति के सिवाय किसी लोक सम्पत्ति के बाबत किसी कार्य को करके रिष्टि कारित करता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा। सार्वजनिक भवन एवं उपासना स्थल अर्थात मोती डूंगरी रोड स्थित दादू द्वारा को मोरडा हाउस के छदम नाम से विक्रय करके अन्तरण कर दिये जाने व उसका अधिपत्य केतागण को प्रदान कर दिये जाने के पश्चात उक्त दादूद्वारा मे पूजा अर्चना उपासना और पवित्र दादूवाणी का नियमित पाठ बन्द करा दिया गया ओर केतागण उक्त उपासना स्थल के मूल धार्मिक स्वरूप को नष्ट व ध्वस्त करने हेतु निरन्तर प्रयत्नशील है जिससे उक्त क्षेत्र में शान्ति भंग हो सकती है। अतः उक्त धार्मिक प्रयोजन के सार्वजनिक भवन एवं उपासना स्थल अर्थात दादूद्वारा को मोरडा हाउस के छदम नाम से विक्रय करके अन्तरण किये जाने के कम में दिनांक 22 अब्टूबर 2005 को उप पंजीयक जयपुर प्रथम के समक्ष प्रस्तुत एवं उनके द्वारा 29

जिला कलक्टर
जयपुर

अक्टूबर 2005 को पंजीकृत किये गए पाचों विकय विलेखों को निरस्त कराने एवं उक्त वर्णित धार्मिक प्रयोज के सार्वजनिक भवन एवं उपासना स्थल अर्थात दादूद्वारा का विधि विरूद्व विकय करके अन्तरण करने का अपराध कारित करने वालों तथा उक्त विधि विरूद्व अन्तरण की सम्यक जांच किए बिना ही तत्परता पूर्वक तत्काल पंजीयन करने का अपराध कारित किए जाने के कम में दोषियों व अपराधियों के विरूद्व सुसंगत अधिकारित वाले सक्षम न्यायालय में दाण्डिक अभियोजन संस्थित कराने और विधि विरूद्व विकित/अन्तरित किए गए धार्मिक प्रयोजन के उक्त सार्वजनिक भवन एवं उपासना स्थल अर्थात दादूद्वारा तथा कथित मोरडा हाउस का वास्तविक अधिपत्य तत्काल प्रभाव से राजकीय नियंत्रण में लेकर उसकी सुरक्षा एवं संरक्षण किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 के अधिवक्ता ने प्रार्थी के कथनों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रश्नागत सम्पत्ति को 4 फरवरी 1885 को हरलालदास श्री रामवल्लभ दास जी दयालबक्श जी ने उजीर खां पुत्र अब्दुल रहमान खां से खरीद की थी। खरीद करने के बाद कथित सम्पत्ति में इनके भाईयों व इनका परिवार रिहायश करता रहा। इस हवेली में काफी किरायेदार व अन्य लोग वर्षो तक मय परिवार रिहायश करते रहे है। इस प्रकार यह सम्पूर्ण भवन म्यु॰ अ॰ 1354 रिहायशी था जो कि इनकी निजी सम्पत्ति शुरू से रही है। इस हवेली में कोई मन्दिर नहीं रहा, दादूपंथी परिवार के धार्मिक दादूवाणी का पाठ किया जाता है तथा दादूपंथी समाज मे मूर्तिपूजा नहीं होती है। उक्त सम्पत्ति सार्वजनिक भवन नही है। शिकायतकर्ता ने देवस्थान विभाग में भी इसी आशय की शिकायत की जिस पर सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग ने सम्पत्ति का मौका देखा तथा उन्होंने रिपोर्ट तैयार की जिसमें उन्होंने यह स्पष्ट से कहा कि यह सम्पत्ति मोरडा जमात की निजी सम्पत्ति है। इस सम्पत्ति में कोई मन्दिर व दादूद्वारा नहीं है और कई जगह शिकयतें की व संबंधित विभागों के द्वारा सम्पत्ति का निरीक्षण समय समय पर करके रिपोर्ट तैयार की जिन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से कहा कि यह सम्पत्ति निजी है। इस सम्पत्ति में कोई मन्दिर व दादूद्वारा कभी नहीं रहा । कानूनन उक्त विकय पत्र दिनांक 22.10.2005 को निरस्तीकरण का अधिकार केवल मात्र सिविल न्यायालय को है। जिला कलक्टर को विकय पत्रों के निरस्तीकरण का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः शिकायत कर्ता का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि शिकायती प्रार्थना को शारिज फरमाया जावे।

6. अप्रार्थी संख्या 12 लगायत 31 के सुयोग्य अधिंवक्ता ने प्रार्थी के कथनों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी ने पांच विकय पत्रों को निरस्त करने, धार्मिक प्रयोजन के सार्वजनिक भवन एवं उपासना स्थल अर्थात दादूद्वारा का विधि विरूद्ध विकय करके अपराध कारित करने वालों के विरूद्व सक्षम न्यायालय में दाण्डित अभियोजन संस्थित कराने एवं धार्मिक उपासना स्थल को राजकीय नियंत्रण में लेकर उसकी सुरक्षा एवं सरंक्षण सुनिश्चित करने बाबत यह शिकायत प्रार्थना पत्र राजस्थान धार्मिक एवं स्थल अधिनियम 1954 की धारा 6 की उपधारा 1 के खण्ड ग के तहत प्रस्तुत किया गया है। आदेश 7 नियम 11 में प्रथम दृष्टया न्यायालय को यह देखना है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र राजस्थान धार्मिक एवं स्थल अधिनियम 1954 की धारा 6 (1) (ग) के तहत जो प्रस्तुत किया है उसके बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य रिकार्ड पर है या नहीं है। धारा 6 की उप धारा 1 स्पष्ट रूप ये इंगित करती है कि भवन पब्लिक रिलीजियस

जिला कलक्टर
जयपुर

होगा तो वह राजस्थान सरकार में निहित होगा शिकायतकर्ता द्वारा ऐसा कोई दस्तोवज प्रस्तुत नहीं किया गया कि कथित भवन राजस्थान सरकार का है और सार्वजनिक धार्मिक भवन है। शिकायत कर्ता की शिकायत पर सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जयपुर ने सम्पत्ति का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट दिनांक 28.04.202 में सम्पत्ति रिहायशी बताई और सम्पत्ति में कोई मन्दिर नहीं होना कहा है । सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग ने मौका निरीक्षण कर दिनांक 25.07.2006 की रिपोर्ट पर कहा कि इस सम्पदा में कभी कोई मन्दिर नहीं था। देवस्थान विभाग जयपुर की दिनांक 15.04.2008 को अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्रश्नागत सम्पत्ति किसी रूप में मूर्ति पूजा स्थल के उपयोग उपभोग में नहीं हुई है ना ही प्रश्नागत सम्पत्ति देवस्थान विभाग में धार्मिक स्थल के रूप में दर्ज है। प्रभारी अधिकारी सतर्कता एवं अति जिला कलक्टर तृतीय जयपुर ने विमल पूर्व मे देवस्थान विभाग मौका देखने बाबत व उनके द्वारा दी गई रिपोर्ट का हवाला दिया। तथ्य दिनांक 30.07.2008 को आयुक्त्त महोदय देवस्थान जयपुर ने अपनी जांच तथात्मक रिपोर्ट में दर्शाई है। माननीय जिला कलक्टर महोदय ने उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को शिकायत की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत तहरीर जारी की। उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम ने मौका निरीक्षण कर दिनांक 05.05.2008 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर परिसर मे किरायेदारों के रिहायश करने वाले तथ्य दर्शाये तथा यह भी दर्शाया कि वर्तमान में यह परिसर आवासीय व वाणिज्यक उपयोग में लिया जा रहा है तथा परिसर में किरायेदार परिवार सहित रिहायश कर रहे है। श्री सुनील दत्त ने एडवोकेट ने भी सम्पत्ति में मन्दिर है धार्मिक भावनाओं के प्रतिकूल अवैद्य तरीके से बेचान किया गया है अनुसंधान अधिकारी ने सार्वजनिक मन्दिर नहीं माना, कहते हुये एक एफ आई आर विपक्षीगण के खिलाफ दर्ज करवाई थी जिस पर पुलिस द्वारा एफ आर लगा दी गई। एफ आर न्यायालय में आने के बाद प्रोटेस्ट पीटिशन भी सुनील दत्त एडवोकेट द्वारा प्रस्तुत की गई जो न्यायालय द्वारा खारिज की गई। जिसकी निगरानी सुनील दत्त एडवोकेट ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयपुर महानगर में दायर की जो बाद सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय जयपुर महानगर में दायर की गई जो बाद सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कम 17 जयपुर महानगर में उनवानी सुनील दत्त व अन्य बनाम [illegible] दास व अन्य निगरानी संख्या 15/2016 दिनांक 11.07.2019 को अस्वीकार करते हुये [illegible] न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.10.2015 की पुष्टि की है। जिला कलक्टर महोदय ने थानाधिकारी पुलिस थाना लाल कोठी से कथित सम्पत्ति की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु कहा जिन्होंने दिनांक 16.09.2010 को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुये तमाम तथ्यों का हवाला देते हुये कहा कि ऐसा कोई तथ्य या प्रमाण नहीं पाया गया कि उक्त स्थान पर कोई मन्दिर या दादूद्वारा विद्यमान रहा हो। थानाधिकारी पुलिस थाना लाल कोठी द्वारा मौके का निरीक्षण करने के बाद अपनी रिपोर्ट दिनांक 06.09.2011 में तमाम तथ्यों का हवाला देते हुये देवस्थान विभाग द्वारा दी गई रिपोर्ट दिनांक 30.04.2008 व 30.07.2008 का भी हवाला दिया गया है। विपक्षी ने कथित भू–खण्ड में आबाद किरायेदारों के किरायेनामें जो सम्पत्ति में रिहायश करते थे, रिहायश करने वाले लोगों की वोटर लिस्ट (जिसमें किरायेदार व दादूपंथी समिति के लोग शामिल है) के राशन कार्ड, पानी व बिजली के बिल प्रस्तुत किये है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने MRS Panimoola Devi Tempal V/s Bhuvanachandran Pillai and Ors. में पब्लिक टेम्पल और प्राईवेट टेम्पल के बारे में बताते हुय कहा कि सर्व प्रथम मन्दिर था बाद में सार्वजनिक मन्दिर हो

जिला कलक्टर,
जयपुर

गया और आम आदमी का मन्दिर में आना जाना चालू हो गया इतना होना भी पब्लिक टेम्पल की तारीफ में नहीं आता है जब तक कैश अलाउन्स समय समय पर राजस्थान सरकार द्वारा नहीं दिया जाता रहा हो तथा सरकार के रिकार्ड में सार्वजनिक मन्दिर दर्ज ना हो। विचाराधीन शिकायत में मन्दिर व सार्वजनिक मन्दिर उसका इन्द्राज राजस्थान सरकार में होना व कैश अलाउन्स इस बाबत दिया जाना कहीं दर्ज नहीं है। शिकायतकर्ता द्वारा दर्शित राजस्थान धार्मिक एवं स्थल अधिनियम 1954 की धारा 6 की उपधारा 1 के तहत पृथम दृष्टया ही शिकायत बिना दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में मेन्टीनेबल नहीं है। बिना दस्तावेजी साक्ष्य के कोई भी शिकायत प्रस्तुत होने पर यदि उसका विचाराधीन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में मिथ्या शिकायत कोई भी व्यक्ति किसी की भी निजी सम्पत्ति करके अनावश्यक मुकदमा बाजी को बढावा देने में सफल हो जावेगा। ऐसी स्थिति में न्यायालय का यह दायित्व है कि प्रथम दृष्टया शिकायतकर्ता की शिकायत दस्तावेजी साक्ष्य पर है या नहीं इसको देखे बिना कार्यवाही चालू नहीं करेगा । प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी पी सी के प्रस्तुत होने के पूर्व में व बाद में भी कथित सम्पत्ति के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य सार्वजनिक होने व सरकारी होने बाबत प्रस्तुत नहीं की गई है । इस प्रकार शिकायतकर्ता की शिकायत प्रावधानों के विपरीत होने तथा बार्ड बाई लॉ होने के कारण शिकायत खारिज किये जाने योग्य है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 (2) सिविल कोर्ट केसेज पेज 320 में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि बार्ड बाई लॉ कोई भी तथ्य है तो न्यायालय की यह जिम्मेदारी है कि उस दावे को सूमोटो रिजेक्ट करे। न्यायिक दृष्टान्त 2011(1) सिविल कोर्ट केसेज पेज 753 व ए आई आर 1991 पंजाब एण्ड हरियाणा पेज 12 में माननीय न्यायालय का मत यहां तक रहा है कि मुकदमा किसी भी कानूनी प्रावधानों से बार्ड है तो न्यायालय को किसी प्रकार की साक्ष्य लेने की भी आवश्यकता नहीं है। न्यायिक दृष्टान्त 2008 (3) डब्लू एल सी पेज 534 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का यहां तक मत रहा है कि तुच्छ वाद आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत खारिज भी नहीं किया जा सके तो न्यायालय उसे धारा 151 के अन्तर्गत खारिज कर सकती है। शिकायत में विकय पत्रों के निरस्तीकरण बाबत भी अनुतोष चाहा है। विकय पत्रों का निरस्तीकरण का अधिकार केवल मात्र सिविल न्यायालय को है इस कारण भी शिकायत बार्ड बाई लॉ होने से खारिज किये जाने योग्य है। न्यायिक दृष्टान्त मैसर्स अनुकम्पा आवास विकास प्रा॰ लि॰ व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य रिट पिटीशन नम्बर 1952/2006 आदेश दिनांक 05.09.2008 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपना मत व्यक्त किया कि जयपुर विकास प्राधिकारण ने उनके यहां प्रस्तुत प्रकरण में विकय पत्रों के निरस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया, न्यायालय का मत रहा है कि जे डी ए ट्रिब्यूनल को विकय पत्र निरस्तीकरण का अधिकार नहीं है । विकय पत्र निरस्तीकरण का अधिकार केवल मात्र सिविल न्यायालय को है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने तीन रिट पीटिशन नम्बर 6072/2011, 2781/2011 एवं 3150/2011 का एक साथ दिनांक 11.05.2012 को निस्तारण करते हुए दस्तावेजों के निस्तीकरण का क्षेत्राधिकार केवल मात्र सिविल न्यायालय का माना है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने रिट पीटिशन नम्बर 13407/2010 का दिनांक 08.09.2016 को निस्तारण करते हुये अपना मत व्यक्ति किया कि विकय पत्र के निरस्तीकरण का अधिकार सिविल न्यायालय को है और सिविल सूट के जरिये ही कैसिल हो सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल

जिला कलक्टर
जयपुर

अपील नम्बर 79052/2013 भंवर लाल व अन्य बनाम राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ व अन्य आदेश दिनांक 09.09.2013 के मामले में यह है कि वक्फ सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है तो वक्फ सम्पत्ति के विक्रय पत्र को निरस्तीकरण का अधिकार सिविल न्यायालय को है बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ को नहीं । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 (4) सिविल कोर्ट कैसेज पेज 838 में स्पष्ट रूप से यह मत व्यक्त किया है कि प्रथम दृष्टया ही तथ्य बार्ड बाई लॉ स्पष्ट है, तो मुकदमा खारिज होने योग्य है। यहां यह उल्लेखित करना आवश्यक है कि उक्त मुकदमें में शिकायतकर्ता व उनके अधिवक्ता काफी तारीख पेशियों से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे है और न्यायालय ने गैर हाजरी आदेशिकाओं में दर्ज कर रखी है। न्यायालय ने शिकायतकर्ता के नाम से सूचना भी भिजवाई है इसके बाजवूद भी शिकायतकर्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे है। उक्त तमाम तथ्यों से प्रथम दृष्टया शिकायतकर्ता के प्रार्थना पत्र से यह स्पष्ट है कि कथित शिकायत राजस्थान धार्मिक भवन एवं स्थल अधनियम 1954 की धारा 6 (1) के प्रावधानों के तहत गवर्न नहीं होने के कारण तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के निरस्तीकरण का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को होने के कारण शिकायतकर्ता के प्रार्थना पत्र में चाहा गया अनुतोष बार्ड बाई लॉ होने के कारण शिकायत मेन्टीनेबल नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः शिकायतकर्ता का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

7. अप्रार्थीगण के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

8. प्रार्थी शिकायतकर्ता द्वारा प्रश्नागत सम्पत्ति निजी सम्पत्ति नहीं होकर दादूपंथी समुदाय सार्वजनिक सम्पत्ति होने का कथन कर राजस्थान धार्मिक भवन एवं स्थल अधनियम 1954 की धारा 6 (1) के तहत उक्त सम्पत्ति बावत किये गये पंजीकृत विक्रय विक्रय पत्रों को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया है। प्रार्थी ने अपने कथनों की पुष्टि में किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी शिकायतकर्ता दौराने सुनवाई कई तारीख पेशियों से उपस्थित नहीं हो रहा है। अचल सम्पत्ति के पंजीकृत किये गये विक्रय पत्रों को निरस्तीकरण का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है। प्रथम दृष्टया प्रश्नागत सम्पत्ति पर किरायेदारान है, जिन किरायेदारान को विक्रय पत्रों से आपत्ति वह इन विक्रय पत्रों को खारिज कराने के लिए सिविल न्यायालय में चाराजोही करने के लिए स्वतंत्र है। विवादित सम्पत्ति के भू–उपयोग की जांच नगर निगम द्वारा की जाकर तदनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु आदेश की प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम जयपुर ग्रेटर को प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति हस्व कायदा मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम जयपुर ग्रेटर को प्रेषित की जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो कर दर्ज नम्बर से कम हो।

9. निर्णय आज दिनांक 22.08.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर